सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन, लाडपुर, रिंग रोड, देहरादून, 248008
दूरभाष न0– 0135–2662021, फैक्स न0– 0135–2662180
ईमेल : secy-uic@gov.in वैब:http://uic.uk.gov.in

पत्रांक 10256/ उ0सू0आ0 / 2025–26 दिनांक 27.08.2025

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तराखण्ड

विषय :– सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1) के अधीन लोक सूचना अधिकारी नामित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 566 / XXXI(15)G/22-85(सू0अ0) / 2012 दिनांक 12.05.2022, शासनादेश संख्या 103 / XXXI(15)G/18-85(सू0अ0) / 2012 दिनांक 13.01.2018 एवं शासनादेश संख्या 828 / XXXI(15)G/17-85(सू0आ0) / 2012 दिनांक 14.09.2017 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा मुख्यालय और जनपद स्तर पर राजपत्रित अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किये जाने तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी के रूप में उससे एक पंक्ति ऊपर के अधिकारी को नामित किये जाने के आदेश दिये गये हैं जिसका अनुपालन कतिपय विभागों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। संबंधित शासनादेश उत्तराखण्ड सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

उपरोक्त संदर्भ में मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदया के द्वारा आपसे यह अनुरोध करने के निर्देश हुए हैं कि यदि मुख्यालय स्तर और जनपद स्तरों पर विभाग में राजपत्रित अधिकारियों को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित नहीं किया गया है तो दिनांक 30.09.2025 तक राजपत्रित अधिकारी को लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित कर लिया जाए। तहसील / विकासखण्ड अथवा उससे नीचले स्तर के कार्यालयों में यदि राजपत्रित अधिकारी कार्यरत नहीं है तो ऐसे कार्मिक को लोक सूचना अधिकारी नामित किया जाए जिसका कार्यालय पर समुचित नियंत्रण हो और विभागीय कार्यों से विज्ञ हों।

भवदीय

Digitally signed by
RAZA ABBAS
Date: 27-08-2025
15:54:06

(रज़ा अब्बास)
सचिव

पत्रांक / उ0सू0आ0 / 2025–26 दिनांक 2025

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित –

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्य सूचना आयुक्त को मा0 मुख्य सूचना आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 राज्य सूचना आयुक्त को मा0 राज्य सूचना आयुक्तगणों के अवलोकनार्थ।

O/C

(रज़ा अब्बास)
सचिव